

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

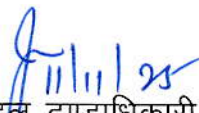
धारा 126 BNSS

प्रथम पक्ष – गजाधर साहु बगैरह ।

बनाम

वाद सं० 03/2025-26

द्वितीय पक्ष – लालकेश्वर साहु बगैरह ।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 17/2025 दिनांक 02/05/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) गजाधर साहु उम्र 60 वर्ष पिता स्व० रामवृत्त सहु ग्राम खंभिया कुम्बाटोली थाना घाघरा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) लालकेश्वर साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व० बालचंद साहु ग्राम लौवाकेरा (2) कौसल्या देवी उम्र 49 वर्ष पति श्री तिलकधारी साहु उम्र मुरुमकेला दोनो थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच खाता सं० 283, 2735 रकबा 5.12 खाता सं० 117 प्लॉट सं० 2725 रकबा 9.25 एमड में से 2.10 एकड़ भूमि को लेकर वाद लाया गया है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समय अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	